न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2023/128

प्रकरण संख्या 41/23

अनवान

1. श्री लोगर पिता रूपा जी रावत निवासी चौहानों का खेडा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्रीमती फूल कुमारी पत्नि महावीर प्रसाद वक्तावत जैन निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 19.09.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार मण्डल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078—81 में खाता संख्या नया 1547 की आराजी नम्बर 8226 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त कुलिया भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है। यह कि प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्त होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है।
2. यह कि कलम नंबर 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के पडौस में विपक्षी की भूमि आ गई और प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुखता सीमांकन नही होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षी विवाद करते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनग्रस्त आराजीयात भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षी की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन किया।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथना[illegible] प्रार्थी की [illegible]री भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थना[illegible] आराजीयात प्रार्थी के [illegible] दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:25 IST
Reason: SelfAttested

को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि में विकास करने में असुविधा हो रही है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा भीण्डर पटवार मण्डल भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 1547 की आराजी नम्बर 8226 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि में चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है, कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:25 IST
Reason: SelfAttested